


मु.न. 41/2024

हरकाप्रसाद / प्रदीप

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25/5/26	<p>पत्रावली पेश। बर्कोल अपीलत को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी। आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैफरेंस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलत ने रैफरेंस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुभार होकर सम्बन्धित काम होकर बाद त्वरित रूप से दफ्तर में दाखिल हो।</p> <p> अनिल कुमार II RAS भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प मुम्बई)</p>	